न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 166/2024

अनवान : –

1. बलुराम पुत्र दौलाराम जाति राईका निवासी कानसर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. राजुराम पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. लाधुराम पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. आशाराम पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. संतलाल पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. मुन्शीराम पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. गिरधारी पुत्र श्योचन्द जाति सोनी निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 320/315 के ख0न0 193/1 की 10.4960 हैक्ट भूमि सायल के नाम व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 353/353 के ख0न0 173/3 की 2.9095, ख0न0 174/4 की 2.5300 हैक्ट, ख0न0 173/5 की 6.1315 हैक्ट कुल 11.9710 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का सींव व डोल को लेकर काफी वर्षो से झगड़ा रहता है। गैरसायलान सायल की नैक नियत का फायदा उठाकर उसकी 6 बीघा खातेदारी भूमि की सींव व डोल को जरिये कब्जा काश्त में ले रहे है उक्त भूमि का पूर्व में भी दो तीन बार सायल के निवेदन पर आपसी राजीनामा के आधार पर नाप तोल हुआ है जिस पर सायल की भूमि पर गैरसायल की काश्त पाई गई थी लेकिन बाद नाप तोल गैरसायल यह कहते है कि उक्त भूमि का पटवारी द्वारा किया गया नापतोल गलत है इस प्रकार दिनांक 09.05.2024 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नोहर को सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया नायब तहसीलदार खुंईया के क्रमा 152 दिनांक 09.05.2024 को रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 193/1 रकबा 10.4960 हैक्ट भूमि प्रार्थी बालुराम के खेत की निशानदेही हेतु पटवारी प्रार्थी के खेत कानसर में पंहूचा पटवारी द्वारा मौका पर थिरारा, हमीरदेसर व कानसर की सीमा का आधार मानकर एवं जरीब चलाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया एवं फर्द मौका पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित काश्तकारों के अंगुठा व हस्ताक्षर करवाये गये पटवारी द्वारा सीमा निर्धारित की गई एवं सभी उपस्थित पक्षकारों ने इसे स्वीकार किया पटवारी सीमा ज्ञान बाबत गैरसायलान ने सायल को धमकी दी की हम तो इसे नहीं मानते है एवं पटवारी द्वारा निश्चित की गई सीमा को मिस्मार करने पर उतारू है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 320/315 के ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:36:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

193/1 की 10.4960 हैक्ट की पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2024 को निर्धारित की गई सीमा की निशान देही को मिस्मार न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 320/315 के ख0न0 193/1 की 10.4960 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव डोल मिस्मार नही करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि की पटवारी द्वारा जो पैमाइश की गई है वह एकपक्षीय है क्योंकि उक्त भूमि की पैमाईश गैरसायलान की उपस्थिति में नही हुई है। उक्त भूमि थिराना, हमीरदेसर, कानसर तीनों गांवो की सीमा पर इसलिए तीनों हल्का के पटवारियों की टीम गठित कर पैमाईश किया जाना उचित है। सीव पर काफी बड़े बड़े पेड़ है जिन्हे सायल काटना चाहते है तथा सायल सीव व डोल को मिस्मार कर गैरसायलान की भूमि में काबिज होना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए लिखित पेश इस आशय की पेश की सायलान व गैरसायल का सींव व डोल को लेकर काफी वर्षो से झगड़ा रहता है। गैरसायलान सायल की नैक नियत का फायदा उठाकर उसकी 6 बीघा खातेदारी भूमि की सींव व डोल को जरिये कब्जा काश्त में ले रहे है उक्त भूमि का पूर्व में भी दो तीन बार सायल के निवेदन पर आपसी राजीनामा के आधार पर नाप तोल हुआ है जिस पर सायल की भूमि पर गैरसायल की काश्त पाई गई थी लेकिन बाद नाप तोल गैरसायल यह कहते है कि उक्त भूमि का पटवारी द्वारा किया गया नापतोल गलत है इस प्रकार दिनांक 09.05.2024 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नोहर को सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया नायब तहसीलदार खुंईया के क्रमाक 152 दिनांक 09.05.2024 को रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 193/1 रकबा 10.4960 हैक्ट भूमि प्रार्थी बालुराम के खेत की निशानदेही हेतु पटवारी प्रार्थी के खेत कानसर में पंहूचा पटवारी द्वारा मौका पर थिरारा, हमीरदेसर व कानसर की सीमा का आधार मानकर एवं जरीब चलाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया एवं फर्द मौका पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित काश्तकारों के अंगुठा व हस्ताक्षर करवाये गये पटवारी द्वारा सीमा निर्धारित की गई एवं सभी उपस्थित पक्षकारों ने इसे स्वीकार किया। पटवारी के सीमा ज्ञान बाबत गैरसायलान ने सायल को धमकी दी की हम तो इसे नही मानते है एवं पटवारी द्वारा निश्चित की गई सीमा को मिस्मार करने पर उतारू है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी गैरसायलान ने सायलान को रोकने के लिए अपने पड़ौसी साबराम सोनी से मिलकर अपने स्वयं के खाता स0 353/353 की भूमि पर स्टे ले लिया ताकि सायल सीमाज्ञान के आधार पर काश्त न कर सके। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 320/315 के ख0न0 193/1 की 10.4960 हैक्ट की पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2024 को निर्धारित की गई सीमा की निशान देही को मिस्मार न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि की पटवारी द्वारा जो पैमाइश की गई है वह एकपक्षीय है क्योंकि उक्त भूमि की पैमाईश गैरसायलान की उपस्थिति में नही हुई है। उक्त भूमि थिराना, हमीरदेसर, कानसर तीनों गांवो की सीमा पर इसलिए तीनों हल्का के पटवारियों की टीम गठित कर पैमाईश किया जाना उचित है। सीव पर काफी बड़े बड़े पेड़ है जिन्हे सायल काटना चाहते है तथा सायल सीव

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व डोल को मिस्मार कर गैरसायलान की भूमि में काबिज होना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 320/315 के ख0न0 193/1 की 10.4960 हैक्ट भूमि सायल के नाम व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 353/353 के ख0न0 173/3 की 2.9095, ख0न0 174/4 की 2.5300 हैक्ट, ख0न0 173/5 की 6.1315 हैक्ट कुल 11.9710 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/पैमाईश पर सभी काश्तकारान के हस्ताक्षर नही है। सायल व गैरसायलान एक दुसरे के पड़ौसी काश्तकार है। उक्त भुमि थिराना, हमीरदेसर, कानसर तीन गांवों की सीमा पर है इसलिए संबंधित पटवारियों की टीम गठित कर पैमाईश किया जाना उचित है फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2024 पटवार हल्का कानसर में अप्रार्थीगण के अंगुठा व हस्ताक्षर नही है तथा उक्त रिपोर्ट केवल पटवार हल्का कानसर द्वारा तैयार की गई जबकि उक्त भूमि तीन गांवों की सीमा पर है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थी के। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.07.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है की पटवारियों की टीम गठित की जाकर पुन सीमाज्ञान करवाया जाकर निशानदेही दी जावे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:18 IST
Reason: SelfAttested